

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष— भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-3/45/2014/10-11/5/ ३११

भोपाल, दिनांक ३-२-१६

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक

छतरपुर वृत्त छतरपुर,

मध्यप्रदेश।

विषय:- पन्ना जिले के अंतर्गत मझगांय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 426.763 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2015/01, दिनांक 01.01.2016

—0—

विषयांकित आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां पाई गई हैं, जो निम्नानुसर हैं:-

1. वन भूमि का Component wise उपयोग का विवरण पार्ट-1 में नहीं दिया गया है। बांध से नहर निकलने पर वन भूमि प्रभावित होगी अथवा नहीं ? स्पष्ट किया जावे।
2. आवेदित वन भूमि की पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से दूरी तथा Eco-sensitive Zone से 10 कि.मी. के अंदर है अथवा बाहर ?
3. गर्थवाईज 60 से.मी. से कम, 60-90 से.मी. तथा 90 से ऊपर के प्रति हेक्टेयर प्रभावित हो रहे वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में दी जावे।
4. प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार एवं की गई कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
5. परियोजना से कोई ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय, पारम्परिक स्थल रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक आदि डूब में प्रभावित नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
6. प्रभावित वन भूमि के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण तो नहीं चल रहा है।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति हेतु आपके उक्त संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव की दो हार्ड कापी मूलतः वापस संलग्न प्रेषित है। कृपया उक्त जानकारी सत्यापन उपरांत वेबसाईट पर ऑनलाइन अपलोड करें एवं हार्ड कापी में भी पूर्ति कर प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न:—(मूल प्रस्ताव की दो प्रति)

O/C

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-3/45/2014/10-11/5/ ३१२

भोपाल, दिनांक ३-२-१६

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डलाधिकारी (सा.) वन मण्डल उत्तर पन्ना, मध्यप्रदेश।
2. उप संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल